।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांक:- प्रशि./स्था.आ./रिफ्रे./मंत्रा./2020/ 64350-56 दिनांक:28./01/2020

स्थायी आदेश क्रमांक :- 01/2020

विषय :-मंत्रालयिक संवर्ग हेतु रिफ्रेशर कोर्स का पाठ्यक्रम।

मंत्रालयिक संवर्ग का 02 सप्ताह का "रिफ्रेशर कोर्स कार्यक्रम (बाह्य एवं आन्तरिक)" संलग्न परिशिष्ट (अ एवं ब) के अनुसार आयोजित किया जायेगा। पाठ्यक्रम के अनुसार रिफ्रेशर कोर्स कार्यक्रम के समापन पर महानिदेशक कारागार द्वारा मनोनीत बोर्ड द्वारा प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा एवं साक्षात्कार लिया जाएगा।

रिफ्रेशर कोर्स समापन पर परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु गठित बोर्ड निम्नानुसार होगा :-

1. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर - अध्यक्ष
2. मुख्यालय द्वारा मनोनीत उपाधीक्षक स्तर या उससे उच्च स्तर का अधिकारी-सदस्य
3. पाठ्यक्रम प्रभारी, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर - सदस्य सचिव
4. व्यायाम शिक्षक या एमडीआई या उप कारापाल - सदस्य
   (प्राचार्य कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर द्वारा मनोनीत)

नोट-मुख्यालय द्वारा मनोनित सदस्य के प्राचार्य कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर से वरिष्ठ होने की स्थिति में मनोनित सदस्य बोर्ड का अध्यक्ष होगा ।

प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा के भाग तथा उनके लिये पूर्णांक निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	इन्डोर विषय	कालांश	पूर्णांक
01.	शून्य दिवस को समस्त इनडोर विषयों पर आयोजित प्रश्न पत्र	-	100
02.	कारागार विभाग के बारे में जानकारी	10	100
03.	सेवा नियम एवं कार्यालय कार्य	10	100
04.	व्यक्तित्व विकास से संबंधित विषय	10	100
05.	कम्प्यूटर ज्ञान **(Ms Word, Ms Exel, Ms Ppt.)**	05	100
06.	कम्प्यूटर टाईपिंग (हिन्दी/अंग्रेजी)	05	50
07.	साक्षात्कार	-	50
	कुल	40	600
क्र.सं.	आउटडोर विषय	कालांश	पूर्णांक
01.	पी.टी.(दौड़,योगासन)	20	100
02.	**Team Game**	20	100
	कुल	40	200
	कुल आउटडोर एवं इन्डोर	**80**	**800**

नोट :-1. आन्तरिक विषय परीक्षा के **प्रश्न पत्र 2 से 5 तक** प्रत्येक विषय का 30 मिनिट की परीक्षा वस्तुनिष्ट आधार पर ली जाएगी जिसमे प्रत्येक विषय के 50 प्रश्न होगें। तथा प्रश्न पत्र 6 मे कम्प्यूटर आधारित टंकण गति परीक्षा(हिन्दी एवं अंग्रेजी) ली जायेगी

2. प्रशिक्षणार्थियों को गठित बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 36 प्रतिशत अंक तथा समग्र परीक्षा में सफल होने के लिए 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने आवश्यक है।

3. मंत्रालयिक संवर्ग का रिफ्रेशर कोर्स प्रति पांच वर्ष में एक बार आयोजित किया जायेगा।

यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगा

संलग्न : परिशिष्ट-अ एवं ब।

महानिदेशक कारागार
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक कारागार, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर,जोधपुर व उदयुपर।
4. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
5. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी,महानिदेशालय कारागार,राजस्थान जयपुर- स्थायी आदेश पत्रावली में रखने हेतु।
6. प्रभारी,कम्पयूटर सैल को विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
7. रक्षक पत्रावली।

महानिदेशक कारागार
राजस्थान, जयपुर

प्रशिक्षण हेतु सामान्य निर्देश

- शून्य दिवस को प्रशिक्षण के विभिन्न विषयों के संबंध में किस कर्मचारी को कितना ज्ञान है इसकी जानकारी के लिए आंतरिक विषयों के क्रमांक-02 से 05 तक के विषयों पर एक घण्टे का प्रश्न पत्र दिया जायेगा। जिसके 100 पूर्णाक होगें,जिसमें वस्तुनिष्ट प्रकार के 50 प्रश्न होगे । दिये गए उत्तरों के आधार पर ग्रेड दिया जायेगा तथा इस प्रश्न पत्र को अन्तिम परिणाम में शामिल किया जायेगा ।
- रिफ्रेशर कोर्स आयोजन से पूर्व समस्त विभाग के मंत्रालयिक कार्मिको के ज्ञान के आकलन हेतु परीक्षा का अयोजन किया जाकर वरिष्ठ व अनुभवी कार्मिकों, उनसे कम वरिष्ठ व अनुभवी कार्मिकों तथा सबसे कनिष्ठ व अनुभवी कार्मिकों का अलग-अलग बैच बनाये जायेगें। इस प्रश्न पत्र में आंतरिक विषयों के क्रमांक-02 से 05 तक के विषयों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न होगें जिसके 100 अंक निर्धारित है।
- रिफ्रेशर कोर्स समाप्ति पर लिखित व व्यवहारिक परीक्षा ली जायेगी एवं परीक्षा परिणाम के आधार पर 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले कार्मिक को अगले बैच में पुनः प्रशिक्षण हेतु सम्मलित किया जाने की अनुशंषा प्राचार्य कारागार प्रशिक्षण द्वारा जायेगी ।
- रिफ्रेशर कोर्स के संबंधित सामग्री, पुस्तकों व प्रशिक्षको की व्यवस्था कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर द्वारा की जावेंगी।
- प्रतिदिन सायंकाल श्रमदान एवं खेलकूद कार्यक्रम होंगे ।
- प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को रिफ्रेशर पाठ्यक्रम में शत प्रतिशत उपस्थित रहना होगा अन्यथा उसे पुनः रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होगा ।
- प्रशिक्षणार्थियों को ए, बी, सी, एवं डी ग्रेड दिया जाना है, जिसका इन्द्राज कर्मचारी के सर्विस रिकार्ड में परीक्षा परिणाम अनुसार उसके संबंधित पदस्थापन कार्यालय द्वारा इन्द्राज किया जावेगा। जिसके संबंध में महानिदेशक कारागार द्वारा परीक्षा परिणाम अनुमोदन होने के पश्चात् कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर द्वारा आवश्यक पत्राचार किया जायेगा।
  - ग्रेड़-ए को 80 प्रतिशत या अधिक अंक तक ।
  - ग्रेड़-बी को 60 प्रतिशत से अधिक एवं 80 प्रतिशत से कम अंक तक ।
  - ग्रेड़-सी को 50 प्रतिशत से अधिक एवं 60 प्रतिशत से कम अंक तक ।
  - ग्रेड़-डी को 40 प्रतिशत से अधिक एवं 50 प्रतिशत से कम अंक तक ।
- प्रशिक्षण के दौरान अनुशासनहीनता करने पर प्राचार्य कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर द्वारा अनुशासनहीनता की सूचना मुख्यालय कारागार जयपुर को भिजवायी जायेगी ।
- प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुओं को अतिआवश्यक कार्य होने पर आवश्यक दस्तावेज लेकर पूर्ण पुष्टि के उपरान्त प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर द्वारा अवकाश पर छोड़ा जावेगा ।(अधिकतम-02 दिवसीय देय अवकाश जिसमें राजपत्रित अवकाश भी शामिल है।) विशेष परिस्थितियों में प्रशिक्षुओं को दो दिवस के अतिरिक्त अवकाश पर छोडने के लिए

प्राचार्य,कारागार प्रशिक्षण संस्थान,अजमेर अधोहस्ताक्षरकर्त्ता से अनुमति लेकर ही अवकाश प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा ।

- रिफ्रेशर कोर्स के संचालन के दौरान उच्च अधिकारियों द्वारा कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर का निरीक्षण किया जा सकता है।
- आउटडोर प्रशिक्षण के दौरान समस्त प्रशिक्षण देने वाला स्टॉफ मय आउटडोर इन्चार्ज मैदान में निर्धारित गणवेश में रहेगा, इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्राचार्य कारागार प्रशिक्षण संस्थान,अजमेर की रहेगी । कोताही बरतने पर प्राचार्य कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी ।

महानिदेशक कारागार
राजस्थान, जयपुर

मत्रांलयिक कर्मचारी वर्ग का रिफ्रेशर पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम की अवधि–2 सप्ताह के कार्य दिवसो का विवरण

क्र.सं.	कार्य–दिवसों का विवरण	कार्य दिवसों की संख्या	विशेष–विवरण
01.	अवकाश	02	
02.	शून्य–दिवस	01	
03.	कार्य–दिवस	10	
04.	इनडोर परीक्षा एवं साक्षात्कार	01	

कालांशों का विभाजन

इन्डोर विषय	10x4=40 (04 कालांश प्रतिदिन)
आउटडोर विषय	10x4=40 (04 कालांश प्रतिदिन)
कालांश अवधि	40 मिनिट

मत्रांलियक संवर्ग रिफ्रेशर कोर्स इन्डोर प्रशिक्षण का विस्तृत पाठ्यक्रम

पेपर–1 शून्य दिवस को आयोजित परीक्षा

आंतरिक विषयों में क्रम संख्या–02 से 06 तक के इनडोर विषयों पर आयोजित प्रश्न पत्र।

पेपर–2 कारागार विभाग के बारे में जानकारी

- कारागार विभाग का परिचय एवं इतिहास
- कारागार विभाग का संगठन
- कारागार विभाग के उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली
- जेल मैनुअल की सामान्य जानकारी
- विभिन्न कारागृहों के बारे में जानकारी
- कारागार अधिकारियों एवं कर्मचारियों से तालमेल

पेपर–3 सेवा नियम एवं कार्यालय कार्य

- राजस्थान सेवा नियम 1951 सामान्य परिचय
- चिकित्सा नियम
- सेवानिवृति परिलाभ
- न्यायिक प्रकरण
- मकान किराया भत्ता नियम
- एनपीएस
- यात्रा भत्ता नियम
- सेवाभिलेख संधारण

- अवकाश संबंधी नियम
- बजट : तैयारी एवं संधारण
- बजट : प्रमुख बजट मद एवं उप मद
- सर्विस पोस्टेज स्टाम्प संधारण
- परिवाद एवं जांच
- सी.सी.ए. नियम 16 व 17
- निलम्बन
- कार्यालय पद्धति
- निविदा पद्धति/उपापन
- प्रमुख आचरण नियम 1971
- केश बुक संधारण
- राशन स्टोर संधारण
- कारागृह उद्योग
- भण्डार
- एसीआर
- पे मेनेजर पर बिल तैयार करना
- सेवानिवृति परिलाभ

पेपर-4 व्यक्तित्व विकास से संबंधित विषय

- समय प्रबंधन
- टीम निर्माण
- तनाव प्रबंधन
- अभिप्रेरणा
- व्यक्तित्व विकास
- राजयोग-ब्रहम कुमारी
- समर्पण ध्यान योग
- आर्ट आफ लिविंग
- मनोबल अभिवृद्धि कार्यशाला
- प्रेरणादायी फिल्म दिखाना
- अजमेर एवं पुष्कर भ्रमण (संस्थान के राजकीय वाहन द्वारा)

पेपर-5 हिन्दी एवं अंग्रेजी का टाईपिंग ज्ञान (टंकण गति परीक्षा)

[illegible] कम्प्यूटर ज्ञान

- [illegible]
- एम.एस. एक्सल
- एम.एस. पॉवर पोईन्ट

[illegible] साक्षात्कार (गठित बोर्ड द्वारा लिया जायेगा)

मंत्रालयिक संवर्ग रिफ्रेशर कोर्स आउटडोर प्रशिक्षण का विस्तृत पाठ्यक्रम

1–पी.टी.

- उम्र एवं क्षमता के अनुसार 2400 मीटर की दौड़।
- पी.टी. (टेबल से) का अभ्यास (टेबल नम्बर दो तक पूर्ण)
- योगासन (ताडासन,सर्वांगासन,हलासन,शीर्षासन)

नोट– आउटडोर प्रशिक्षण में कार्मिको को सफेद जूते मय सफेद जुराब,सफेद ट्रेक सूट अथवा सफेद पेंट,टीशर्ट में उपस्थित होना अनिवार्य है।

2– खेलकूद एवं टीम गेम तथा आईस ब्रेकिंग

मंत्रालयिक संवर्ग रिफ्रेशर कोर्स दैनिक समय – सारणी

क्र.सं.	कालांश	विषय
01.	06:00 से 06:40 ए.एम. तक	पी.टी. (पी.टी.आई. या पाठ्यक्रम प्रभारी द्वारा रोलकाल लिया जाना है।)
02.	06:45 से 07:25 ए.एम. तक	योगासन
03.	10:30 से 01:10 पी.एम. तक	इनडोर पाठ्यक्रम
04.	01:10 से 03:30 पी.एम. तक	विश्राम
05.	03:30 से 04:30 पी.एम. तक	टीम गेम
06	04:30 से 06:30 पी.एम. तक	खेलकूद
07.	07:00 से 07:30 पी.एम. तक	सांयकाल रोलकाल (एम.डी.आई.या प्राचार्य द्वारा लिया जाना है।)
पाठ्यक्रमानुसार इनडोर पाठ्यक्रम के विषयों का विभाजन प्राचार्य कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर के द्वारा किया जाना निर्धारित है।		

नोट– मौसम के अनुरूप समय समायोजन का अधिकार प्राचार्य कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर के पास सुरक्षित रहेगा ।

महानिदेशक कारागार
राजस्थान, जयपुर